



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पत्रांक:- 1218 / 12-1 दिनांक: देहरादून 22 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :- जनपद चमोली में अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी० 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No- FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के ई०डी०एस० दिनांक 03.11.2023 एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1186/12-1 दिनांक 05.12.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० दिनांक 03.11.2023 के अनुपालन में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड, पौड़ी के सन्दर्भित पत्र से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित विन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना	आख्या
1	प्रस्तावित मार्ग मात्र एक गांव को जोड़ रहा है जहां यातायात की मात्रा बहुत कम होगी, राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मार्ग की चौड़ाई कम करते हुये कम वन क्षेत्र एवं वृक्षों को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक संरेखण खोजे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि प्रस्ताव में ली गयी मोटर मार्ग की चौड़ाई मानकानुसार है इससे कम चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के मानकानुसार सम्भव नहीं है इसके अतिरिक्त सभी वैकल्पिक संरेख पर विचार कर लिया गया है परन्तु कोलाडुंग्री ग्राम हेतु प्रस्तावित संरेखण ही तकनीकी एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। अन्य विकल्प, जिनका उल्लेख पूर्व में प्रेषित विस्तृत औचित्य (प्रति संलग्न) में किया जा चुका है। या तो तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है अथवा ग्रामीणों की भूमि सम्बन्धी आपसी विवाद है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-1218 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।